राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय,जयपुर

विभाग में वर्ष 2010–11 में संचालित योजनाओं एवं उपलब्धियों की माह जून–2010 की प्रगति का विवरण –

1. मण्डी शुल्क से प्राप्त आय

(राशि करोड रूपये में)

अ.	अप्रेल 08 से मार्च 09	अप्रेल 09 से मार्च 10	प्रतिशत
	245.03 करोड रू.	285.25 करोड रू.	+ 16.41

ब. मण्डी शुल्क की गत वर्ष से चालू माह तक की तुलनात्मक आय

अप्रेल 09 से जून 09 तक	अप्रेल 10 से जून 10 तक	प्रतिशत प्रगति
90.95 करोड रू.	78.46 करोड रू.	– 13.73

– आय में कमी रहने के कारणः–

अप्रेल से जून तक मुख्य रूप से गेहुं, जौ, चना एवं सरसौं जिन्सौं की आवक ही होती हैं। कृषि विभाग से प्राप्त बी.ओ.आर. के अनुसार रबी 2008–09 के उत्पादन की तुलना में रबी 2009–10 में उत्पादन कम हुआ है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

(उत्पादन लाख टनौं में)

जिन्स	वर्ष 2008–09	वर्ष 2009–10	वर्ष 2009–10 के उत्पादन में % कमी
गेहुं	69.98	55.32	(-) 20.95%
जौ	7.75	6.84	(-) 11.74%
चना	8.77	8.22	(-) 6.27%
सरसौं	37.13	32.06	(-) 13.65%

उक्त उत्पादन अनुमानों से स्पष्ट है कि तदनुसार आवक भी प्रभावित हुई है एवं उसी अनुपातिक रूप से मंडी शुल्क में कमी आई है।

2. स्वीकृत निर्माण कार्य :

वर्ष 2009–10 व वर्ष 2010–11 में निदेशालय द्वारा मण्डी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर जारी की गई निर्माण कार्यो की स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (राशि लाख रू. में)			
		वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11 (जून 10 तक)	
		प्रशा.स्वी.	वित्तीय स्वी.	प्रशा.स्वी.	वित्तीय स्वी.
1	ग्रामीण सम्पर्क सडकें	5446.64	3204.23	1071.76	669.49
2	मण्डी प्रांगण विकास कार्य	4352.99	2036.07	1851.15	689.15
3	चालू निर्माण कार्य		4380.24	-	4365.89
4	मिसिंग लिंक एवं विशेष मरम्मत के लिए विपणन बोर्ड को उपलब्ध कराई गई राशि–ऋण पुनर्भरण	-	-	-	-
5	नवीन मिसिंग लिंक सडक परियोजना हेतु बोर्ड को उपलबध कराई गई राशि	-	-	-	-
6	वर्ष 2003–04 में पेचवर्क कार्य हेतु भुगतान स्वीकृति	-	-	-	-
7	जिला मुख्यालयों पर किसान भवन का निर्माण	-	कुल 2347.72 (1011.25 राज्य अनुदान 1336.47 मण्डी अंशदान)	-	-
8	ग्रामीण सडक सुदढीकरण एवं नवीनीकरण परियोजना आर.आई.डी.एफ.–14	-	984.61	-	-
9	सडकों की वार्षिक मरम्मत	1564.33	1525.25	-	-
10	जल संग्रहण संरचना	-	-	689.01	689.01
	योग	11363.96	14478.12	3611.92	6413.54

3. एगमार्क वर्गीकरणः

कृषि विपणन विभाग के अन्तर्गत राज्य में 8 एगमार्क प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। एगमार्क प्रयोगशालाओं से प्राप्त वर्गीकरण शुल्क की आय का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	वर्गीकरण शुल्क से आय (राशि लाख रू.में)
2009–2010	40.66
2010–2011 (जून 10 तक)	10.33

4. मुख्यमण्डी यार्ड/गौण मण्डी यार्डो की स्थापनाः राज्य में कृषि जिन्सों की क्रय–विक्रय हेतु वर्तमान में 127 मुख्यमण्डी यार्ड एवं 304 गौण मण्डी यार्ड स्थापित है।

- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.6(9)कृषि/ग्रुप–2/2003 दिनांक 19.5.10 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर के तहत ग्राम नापासर में गौणमण्डी स्थापना करने की धोषणा की गई है।

मण्डी समितियों का श्रेणीकरण

श्रेणी	मण्डी शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय (रूपये में)	मण्डियों की संख्या
विशिष्ठ श्रेणी	250 लाख रू. या उससे अधिक	14
'अ' श्रेणी	150 लाख रू. या अधिक लेकिन 250 लाख रू. से कम	19
'ब' श्रेणी	75 लाख रू. या अधिक लेकिन 150 लाख रू. से कम	33
'स' श्रेणी	25 लाख रू. या अधिक लेकिन 75 लाख रू. से कम	44
'द' श्रेणी	25 लाख रू. से कम	17

5. राजीव गॉधी कृषक साथी योजना–2009

किसान जीवन कल्याण योजना को संशोधित कर दिनांक 9.12.09 से ''राजीव गॉधी कृषक साथी योजना–2009'' लागू की गई । इसके अन्तर्गत अब कृषकों/खेतीहर मजदूरों को कृषि अथवा कृषि विपणन कार्य करते समय मृत्यु की दशा में 50,000 रू. के बजाय 1,00,000 रू. एवं दो अंग–भंग होने की स्थिति में 30,000 रू. के बजाय 50,000 रू. की सहायता प्रदान की जाती है। अन्य घटनाओं पर दी जाने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में (जून–10 तक) उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण निम्नानुसार हैः–

अवधि		बजट प्रावधान (लाख रूपये में)	लाभान्वित व्यक्ति	राशि (लाख रू. में)
वर्ष 2009–10	बोर्ड द्वारा	300.00	665	227.58
	बीमा विभाग द्वारा	937.55	1086	352.88
	योग	1237.55	1751	580.46
वर्ष 2010–11 (जून–10 तक)	बोर्ड द्वारा	-	-	-
	बीमा विभाग द्वारा	1654.50	-	-
	निदेशालय द्वारा	-	798	345.68
	योग	1654.50	798	345.68

6. आपणी रसोई योजना–2009

राज्य की ''विशिष्ठ'' एवं ''ए'' श्रेणी की मण्डी प्रांगणों में अपनी उपज विक्रय हेतु आने वाले कृषकों को रियायती/अनुदानित दर पर भोजन उपलब्ध कराने बाबत् दिनांक 21.12.2009 से लागू की गई । उक्त मण्डी समिति में मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की अधिकतम 2 प्रतिशत राशि इस योजना हेतु आरक्षित करने की स्वीकृति आदेश क्रमांक प.4(48)निकृवि/नियमन/तृ. संशो./05/47516–566 दिनांक 02.3.2010 से प्रदान की गई है । इसके लिए पृथक से बजट की आवश्यकता नहीं है । वित्तीय वर्ष 2010–11 में माह जून 2010 तक 146652 कृषकों को लाभान्वित किया गया ।

7. किसान स्टोर्स

किसानों को उनकी आवश्यकता की समस्त वस्तुऐं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए डी.एस.सी.एल. एवं आई.टी.सी. को निम्नांकित मण्डी प्रांगणों में उनके नाम के सम्मुख अंकित भूमि किसान स्टोर्स की स्थापना के लिए आवंटित की गई हैः–

डी.एस.सी.एल.		**आई.टी.सी.**	
ईटावा	6000 वर्गफुट	टोंक	4500 वर्गफुट
झालरापाटन	4455 वर्गफुट	बांरा	5000 वर्गफुट
केशोरायपाटन	6000 वर्गफुट	श्रीगंगानगर(अ)	6000 वर्गफुट
पीलीबंगा	6000 वर्गफुट	जोधपुर (अ)	10000 वर्गफुट
सुल्तानपुर	5850 वर्गफुट	भीलवाड़ा	8000 वर्गफुट
		सीकर	10000 वर्गफुट

8. कृषि जिन्सों पर मण्डी शुल्क की दरों में कमी :

कृषि आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं एवं किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कृषि जिंसों पर मण्डी शुल्क में कमी/समाप्त किया गया है।

क्रस	**नामित अधिसूचित कृषि उपज**	**पूर्व दर % में**	**वर्तमान दर % में एवं**	**प्रभावी तिथि**
1	जीरा	1.60	0.50	12.07.2004
2	इसबगोल	1.60	0.50	12.07.2004
3	सरसो	1.60	1.00	08.03.2006
4	तिलहन	1.60	1.00	28.03.2006
5	ज्वार	1.60	0.50	19.10.2006
6	बाजरा	1.60	0.50	19.10.2006
7	मक्का	1.60	0.50	19.10.2006
8	हरी पत्तेदार सब्जी	1.60	समाप्त	21.3.2005
9	नारियल	1.60	समाप्त	25.1.2006
10	नारियल (पानीवाला)	1.60	समाप्त	25.1.2006

9. वर्ष 2010–11 की अन्य उपलब्धियां

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.6(8) कृषि/ग्रुप–2/2000 दिनांक 30.4.10 के द्वारा राज्य में एक नई कृषि उपज मण्डी समिति कोटा (फल सब्जी) की स्थापना करने की धोषणा की गई है तथा प्रथम मण्डी समिति के सदस्यों का मनोनयन किया गया। उक्त मण्डी समिति अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के चुनाव होने के बाद स्वतंत्र रूप से अपना कार्य प्रारम्भ करेगी। यह 'क' श्रेणी की मण्डी होगी।

2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.6(9)कृषि/ग्रुप–2/2003 दिनांक 19.5.10 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर के तहत ग्राम नापासर में गौणमण्डी स्थापना करने की धोषणा की गई है।